

आदेश ब इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

करण संख्या 269/2022(धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

एनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड पता- प्लॉट नम्बर एसबी-59, यूडीवी टॉवर, प्रथम मंजिल, नगर निगम ऑफिस के सामने, टोंक रोड, जयपुर, राज.।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

वनाम

1. श्रीमती उर्मिला जुमवाल,

पता (1). ए-50, राधाविहार, न्यु सांगानेर रोड, सोडाला, जयपुर

(2). स्लम पुर माजरा प्रधान एनक्लेव, खसरा नम्बर 57/7 बी ब्लॉक, बुरारी, दिल्ली

(3). फ्लैट नम्बर 16, प्रथम तल, एल आई जी बी, मोजिका लक्ष्मी विहार, खसरा नम्बर 33,

श्री रामपुरा बास, भांकरोटा, तहसील सांगानेर, जयपुर।

2. श्री गोपी चन्द,

पता (1).ए-50, राधाविहार, न्यु सांगानेर रोड, सोडाला, जयपुर,

(2). स्लम पुर माजरा प्रधान एनक्लेव, खसरा नम्बर 57/7 बी ब्लॉक, बुरारी, दिल्ली,

(3). फ्लैट नम्बर 16, प्रथम तल, एल आई जी बी, मोजिका लक्ष्मी विहार, खसरा नम्बर 33,

श्री रामपुरा बास, भांकरोटा, तहसील सांगानेर, जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर



The application under section 14 of the securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act.2002.

पस्थित :-

1. श्री विनोद खाण्डल अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक 23.12.2021.

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 26.12.2019 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्रीमती उर्मिला जुमवाल के स्वामित्व की सम्पत्ति फ्लैट नम्बर 16, प्रथम तल, एल आई जी बी, मोजिका लक्ष्मी विहार, खसरा नम्बर 33, श्री रामपुरा बास, भांकरोटा, तहसील सांगानेर, जयपुर में स्थित है, को बन्धक रख कर 11,50,000/-रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 08.04.2021 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय बैंक ने The securitization an reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act.2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत

जस्ट्रेट  
जयपुर

- कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्याय हित में अप्रार्थी ऋणियों को सूचना पत्र जारी किये गये। अप्रार्थी स्वयं उपस्थित है।
  3. उभय पक्ष को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भली भाँति अवलोकन किया गया।
  4. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 18 सितम्बर 2017 का सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान बैंक के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
  5. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को 11,50,000/- रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल राशि 10,42,907.77 रुपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 08.04.2021 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है इसके अतिरिक्त दो दैनिक समाचार पत्रों में 13(2) के नोटिस का दिनांक 23.07.2021 प्रकाशित कराया गया है। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।
  6. अतः The securitization an reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act.2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्रीमती उर्मिलां जूमवाल के स्वामित्व की सम्पत्ति फ्लैट नम्बर 16, प्रथम तल, एल आई जी वी, मोजिका लक्ष्मी विहार, खसरा नम्बर 33, श्री रामपुरा बास, भांकरोटा, तहसील सांगानेर, जयपुर में स्थित है का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
  7. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करे। आदेश की प्रति हस्य कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।



आदेश आज दिनांक 23.12.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

*(अन्तर सिंह नेहरो)*  
जिला मजिस्ट्रेट  
(कलक्टर) जयपुर